रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 358] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 2017/माघ 21, 1938
No. 358] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 2017/MAGHA 21, 1938

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2017

का.आ. 394(अ) .— सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान की सुपुर्दगी प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है तथा फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति उनकी हकदारियां प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान साबित करने के लिए बहु दस्तावेजों की आवश्यकता का भी निराकरण करता है;

और, राष्ट्रीय शिक्षुता उन्नयन स्कीम (एनएपीएस), जिसके अधीन स्थापनों द्वारा शिक्षुओं को स्थापनों में लगाने की दशा में (प्रतिशिक्षु 1500 रूपए प्रति मास की अधिकतम सीमा तक) संदत्त विहित वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति में तथा अभ्यर्थियों को बुनियादी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के मुद्दे प्रशिक्षण संस्थानों को 7500 रूपए तक की प्रतिपूर्ति में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार का कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करता है; अर्थात: -

1. (1) राष्ट्रीय शिक्षुता उन्नयन स्कीम (एनएपीएस) के अधीन शिक्षु के रूप में नामांकन करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों से उनके पास आधार होने का सबूत देने की या आधार अधिप्रमाणन कराने की अपेक्षा होगी और ऐसे शिक्षुओं को लगाने वाले नियोक्ताओं, भारतीय राष्ट्रीय संदाय निगम (एनपीसीआई) की आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी) प्रणाली के माध्यम से शिक्षुओं के आधार संबद्ध बैंक खातों में सीधे शिक्षुओं को विहित वृत्तिका (भारत सरकार के अंश सहित) का संदाय करेंगे।

(2) एनएपीएस के अधीन शिक्षु के रूप में नामांकन करने के लिए इच्छुक व्यक्ति से, जिसने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन के लिए [**** तक] आवेदन करने की अपेक्षा होगी, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है और ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करने हेतु किसी भी आधार नामांकन केंद्र (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यत) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अनुसार, ऐसे केंद्रीय या राज्य विभाग या अभिकरण से, जो किसी वैयक्तिक से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, उन फायदाग्राहियों को, जिन्होंने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं कराया है, नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा होगी और यदि उनके आस-पास कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है, तो राज्य सरकार नियोक्ताओं या प्रशिक्षण अभिकरणों के माध्यम से, यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वयन में सुविधाजनक स्थानों पर नामाकंन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगी या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगी:

परन्तु व्यक्ति का आधार नियत किए जाने तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अध्यधीन अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात किया जा सकेगा, अर्थात:-

(क) (i) फोटो के साथ बैंक पासबुक;

(ii) यदि उसने नामांकन करा लिया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; या

(iii) आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति, जो पैरा 2 के उप-पैरा (2) में विनिर्दिष्ट है, और

(ख) (i) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र; या (ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता सं. (पैन) कार्ड; या (iii) पासपोर्ट; या (iv) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चाल्यअनुज्ञप्ति; या (v) किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार द्वारा, उसके शासकीय पत्र पर उसके फोटो सहित जारी पहचान प्रमाण पत्र, या (vi) किसान फोटो पासबुक; या (vii) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज :

परन्तु यह और कि उपरोक्त उल्लिखित दस्तावेजों की जांच नियोक्ता के किसी अधिकारी द्वारा या उस प्रयोजन हेतु मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अनिहित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा की जाएगी।

2. फायदाग्रहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रजिस्ट्रीकरण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें एनएपीएस पोर्टल और अन्य साधनों के माध्यम से सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं, करेंगी, अर्थात: -

(1) मीडिया के माध्यम से और नियोक्ताओं या प्रशिक्षण अभिकरणों के माध्यम से संभावित आवेदकों या शिक्षुओं को स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के प्रति उन्हें अवगत कराने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा और यदि वे पहले से नामांकित नहीं हैं तो उन्हें अपने क्षेत्रों में उपलब्ध नजदीकी नामांकन केंद्रों पर अपना नामांकन कराने की सलाह दी जाए, उन्हें स्थानीय उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि, फायदाग्राही अपने क्षेत्र के आस-पास स्थित नामांकन केंद्रो की अनुपलब्धता के कारण नामांकन कराने में असमर्थ हैं, तब राज्य सरकारों से सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं सृजित करने की अपेक्षा होगी और आवेदकों या शिक्षुओं से पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरें अर्थात, पता, मोबाइल नं. के साथ अपने नाम देकर उनके वेब पोर्टल पर नामाकंन के लिए अपने आवेदन का रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय तथा जम्मू-कश्मीर के सिवाय, सभी राज्यों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[सं. डीजीटी - 16 (3)/2016-एपी]

आशीष शर्मा, महानिदेशक/संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2017

S.O. 394 (E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) under which reimbursement of 25% of the prescribed stipend paid by the establishments to apprentices (up to a maximum limit Rs. 1500 per month per apprentice) in case of establishments engaging apprentices and reimbursement of upto Rs. 7500 to training institutes towards providing Basic Training to candidates involve expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship hereby notifies the following, namely:—

1. (1) Individuals desirous of enrolling as apprentices or trainees under the National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication and employers engaging such apprentices shall pay the prescribed stipend (including the Government of India share) to the apprentices directly into the Aadhaar Linked Bank Accounts of the apprentices through Aadhaar Payment Bridge (APB) system of National Payment Corporation of India (NPCI).

(2) Individual desirous of enrolling as apprentice or trainee under the National Apprenticeship Promotion Scheme who is not yet enrolled for Aadhaar is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by [****], in case he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment center (list available at (www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Central or State Department or Agency which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment center located in the vicinity, the State Government through the employers or training agencies may provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or may provide Aadhaar enrolment facilities by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, registration may be allowed provisionally to such individual subject to the production of the following documents, namely:—

(a) (i) Bank passbook with photo;

(ii) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(iii) a copy of his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2, and

(b) (i) the voter identity card issued by the Election Commission of India; or (ii) the Permanent Account Number (PAN) Card issued by the Income Tax Department; or (iii) the Passport; or (iv) the driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (v) the certificate of

identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (vi) the Kisan Photo passbook; or (vii) any other document specified by the State Government:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer of the employer or training institute specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free registration to beneficiaries, the Central Government and State Governments, through NAPS portal and other means, shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(1) Wide publicity through media and individual notices through the employers or training agencies shall be given to the prospective applicants or apprentices or trainees to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centers available in their areas, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the vicinity, the State Governments are required to create enrolment facilities at convenient locations and the applicants or apprentices or trainees can be requested to register their request for enrolment by giving their names with other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, such as, address, mobile number on their web portal.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all the States except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[No. DGT-16(3)/2016-AP]

ASHEESH SHARMA, Director General/Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.02.11 17:47:21 +05'30'